कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/मा/निप्र/डी–I/104/II/नवाचार/ 2016–17/193, दिनांकः 21.08.16

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा (प्रथम / द्वितीय)

विषय :– विद्यालय के समय विभाग चक्र के निर्माण में समुचित कालांश भार निर्धारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु शासन का आदेश क्रमांकः प.22(6) शिक्षा–1/2002, जयपुर, दिनांकः 30.04.15

उपर्युक्त विषयान्तर्गत उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के मानदण्ड निर्धारण हेतु शासन के सन्दर्भित आदेशों में बिन्दु संख्या : 03 (मानदण्ड निर्धारण के अन्य प्रावधान) में प्रदत्त निर्देशों को सहज सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार उद्धत (quote) किया जा रहा है :–

1. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में 12 कलांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
2. विषय व्याख्याता द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 33 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः विषय व्याख्याता द्वारा कक्षा 11 एवं 12 के शैक्षणिक कार्य के सम्पादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 9 एवं 10 को भी शिक्षण कार्य कराया जायेगा।
3. वरिष्ठ अध्यापक द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 36 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 9 से 10 के कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष बचने पर कक्षा 6, 7 एवं 8 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के वरिष्ठ अध्यापक द्वारा कक्षा 11 एवं 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
4. अध्यापक लेवल–2 द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। अतः अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 6–8 का शिक्षण कार्य संपादन के पश्चात् कालांश भार शेष रहने पर कक्षा 1–5 को भी शिक्षण कार्य करवाया जायेगा। व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त होने पर संबंधित विषय के अध्यापक लेवल–2 द्वारा कक्षा 9 से 12 में आवश्यकतानुसार शिक्षण कार्य करवाया जा सकेगा।
5. अध्यापक लेवल–I द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कक्षा 1 से 5 को कुल 42 कालांश का शिक्षण कार्य करवाया जायेगा।
6. उपर्युक्तानुसार मुख्य शैक्षिक विषय कलांशों के अतिरिक्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के कालांश समानुपातिक रूप से आवश्यकतानुसार आवंटित किये जायेंगे।

विद्यालय परिवीक्षण के दौरान विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षण व्यवस्था में व्यवधान के तथ्य रेखांकित हुए हैं। उक्त क्रम में फील्ड में विद्यालयों की निर्बाध शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु शासन के उपर्युक्त संदर्भित निर्देशों की अक्षरशः पालना क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशों की पालना एवं क्रियान्विति सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाई जानी सुनिश्चित करें।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
3. समस्त मण्डल उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा को क्षेत्राधिकार में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु ।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एव समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु ।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned with CamScanner